भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 73
05 दिसम्बर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों संबंधी योजनाओं का आकलन और परिणाम

73. श्री बंशीलाल गुर्जरः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' और 'प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना' के उद्देश्यों और अपेक्षित परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दोनों योजनाओं के वित्तीय आवंटन, अवधि और कार्यान्वयन अवधि के साथ-साथ लक्षित जिलों और हेक्टेयर क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और नोडल अधिकारियों के मध्य समन्वय हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) इन पहलों के अंतर्गत प्रगति की निगरानी करने, किसानों तक पहुँचने वाले लाभों पर नज़र रखने और रोजगार सृजन तथा उत्पादकता में सुधार का आकलन करने के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'किसानों संबंधी योजनाओं का आकलन और परिणाम' विषय के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 05.12.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 73 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक 06 वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 को 11,440 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्रीय प्रायोजित योजना 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' और दिनांक 16 जुलाई, 2025 को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (पीएम-डीडीकेवाई) को मंज़ूरी दी। पीएम-डीडीकेवाई योजना को देश भर में चुनिंदा 100 जिलों में 11 विभागों की चल रही 36 योजनाओं, दूसरी राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

दलहन मिशन का उद्देश्य तुअर, उड़द, मसूर पर विशेष फोकस के साथ दलहन के उत्पादन में वृद्धि, किसानों के लिए जलवायु अनुकूल बीजों के उत्पादन और उपलब्धता को बढ़ावा, दलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार, फसलोपरांत भंडारण और प्रबंधन तकनीकों को बढ़ावा देना है। यह मिशन, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के नियमों के अनुसार अगले चार वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एनसीसीएफ) के जरिए तुअर, उड़द, मसूर की संपूर्ण खरीद करेगी। इस मिशन के तहत वर्ष 2030-31 की समाप्ति तक 1130 कि.ग्रा./हेक्टेयर की औसत उत्पादकता के साथ 310 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से 350 लाख टन दलहन का उत्पादन लक्षित है।

इसी तरह, पीएमडीडीकेवाई का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोपरांत भंडारण बढ़ाना, सिंचाई की सुविधाओं को बेहतर बनाना और दीर्घकालिक-अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना है।

(ग) और (घ): दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (पीएम-डीडीकेवाई) में तीन स्तरों अर्थात् राष्ट्रीय, राज्य और जिला, प्रत्येक पर संचालन समितियों द्वारा निगरानी की व्यवस्था है। इन समितियों को नियोजन, कार्यान्वयन और प्रगति मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है ताकि मिशन के उद्देश्यों के साथ समन्वय किया जा सके और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। इसी तरह, पीएम-डीडीकेवाई के तहत, हर डीडीकेवाई जिले में केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) नियुक्त किए गए हैं ताकि वे क्षेत्रीय दौरे कर सकें और नियमित तौर पर जिलों के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी कर सकें।
